

भारत में दवियांगजन: हाशयि से मुख्यधारा की ओर

यह एडिटोरियल 14/07/2024 को 'द हट्टू' में प्रकाशित "The Supreme Court ruling on portrayal of disability in films" लेख पर आधारित है। इसमें दृश्य मीडिया में दवियांगजनों के वरिद्ध रूढ़िवादिता और भेदभाव पर रोक के लिये सर्वोच्च न्यायालय के हाल के दशिया-नरिदेशों के बारे में चर्चा की गई है, जहाँ कंटेंट नरिमाण में दवियांगजनों के सटीक प्रतनिधित्व और भागीदारी पर बल दिया गया है। इसमें मौजूदा दवियांगजन अधिकार कानूनों के उचित कार्यान्वयन की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया है।

प्रलिमिस के लयि:

दवियांगजनों से संबंधित भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दशिया-नरिदेश, [दवियांग वयक्तयिों के अधिकार अधनियिम, 2017](#), [दवियांगजन अधिकार अधनियिम 2016](#), भारतीय पुनरवास परषिद अधनियिम, 1992, मानसकि स्वास्थय देखभाल अधनियिम, 2017, पीएम-दकष (दवियांग कौशल वकिस एवं पुनरवास योजना), सुगम्य भारत अभयान, दीनदयाल दवियांग पुनरवास योजना, दवियांगजनों के लयि सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फटिगि में सहायता की योजना, दवियांग छात्रों के लयि राषट्रीय फ़ेलोशपि

मेन्स के लयि:

भारत में दवियांगजनों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतयिों, भारत में दवियांगजनों को सशक्त बनाने के उपाय

भारत के [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने दृश्य या वजिअल मीडिया में [दवियांगजनों \(PwDs\) के वरिद्ध रूढ़िवादिता और भेदभाव](#) पर रोक के लिये ऐतहासकि दशिया-नरिदेश जारी कयि हैं। यह ढाँचा कलंकित करने वाली भाषा से बचने, सटीक प्रतनिधित्व प्रदान करने और कंटेंट नरिमाण में PwDs को शामिल करने पर बल देता है। यह नरिणय [दवियांगजन अधिकार नयिम 2017](#) जैसे मौजूदा कानून पर आधारित है, जो एक ऐसे मानवाधिकार मॉडल की ओर संक्रमण को प्रतबिबित करता है जहाँ **PwDs को समान अधिकार रखने वाले समाज के अभननि** सदस्य के रूप में देखा जाता है।

यद्यपि यह न्यायकि हस्तक्षेप महत्त्वपूर्ण है, इसके कार्यान्वयन और सामाजकि दृष्टिकोण को बदलने से जुड़ी चुनौतयिों बनी हुई हैं। ये दशिया-नरिदेश मुख्य रूप से दृश्य मीडिया पर केंद्रित हैं, लेकिन सभी क्षेत्रों में इनके व्यापक अनुप्रयोग की आवश्यकता है। **दवियांगजन अधिकारों के पैरोकार ध्यान दलाते हैं कि प्रगतशील कानूनों के बावजूद दवियांगजनों को प्रायः समानता के बजाय दया के नज़रिए से देखा जाता है।**

भारत को **वधियायी मंशा और सामाजकि यथार्थ** के बीच की खाई को दूर करने के लिये कठोर श्रम करने की आवश्यकता है, ताकि जीवन के सभी पहलुओं में दवियांगजनों के लिये पूर्ण समावेशन और सम्मान सुनिश्चित कयि जा सके।

भारत में दवियांगजनों की वर्तमान स्थिति:

- **परचिय:** जनगणना 2011 के अनुसार, देश में दवियांगजनों की **संख्या 2.68 करोड** है, जो देश की **कुल जनसंख्या का 2.21%** है।
 - **दवियांगजन अधिकार अधनियिम 2016** के अनुसार 21 प्रकार की दवियांगताओं को चहिनित कयि गया है, जनिमें लोकोमोटर या चलन संबंधी दवियांगता, दृश्य दवियांगता, श्रवण दवियांगता, वाणी एवं भाषा दवियांगता, बौद्धकि दवियांगता, बहु दवियांगता, मसृष्टिक पक्षाघात, बौनापन आदि शामिल हैं।
- **दवियांगता अधिकारों के मॉडल:** दवियांगता अधिकारों को प्रायः वभिनिन मॉडलों के माध्यम से देखा जाता है:
 - **चकितिसा मॉडल:** यह वयक्त की नःशक्तता पर ध्यान केंद्रित करता है।
 - **सामाजकि मॉडल:** यह दवियांगजनों को समाज का अभननि अंग मानता है, जनिहें अन्य लोगों के समान अधिकार प्राप्त हैं।
 - **मानवाधिकार मॉडल:** यह सामाजकि मॉडल का परषिकृत रूप है, जो इस बात पर बल देता है कि दवियांगजनों को सभी मानवाधिकार समान रूप से प्राप्त होने चाहिये।
 - सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त ढाँचा इस मॉडल के अनुरूप है, जो सरकार और नजि नकियायों दोनों को समाज में दवियांगजनों की पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी को सुवधियाजनक बनाने का दायित्व सौंपता है।
- **दवियांगता अधिकार प्रदान करने वाले प्रमुख कानून:**
 - **दवियांगजन अधिकार अधनियिम (RPwD Act), 2016:** यह व्यापक कानून 19 अप्रैल 2017 को लागू हुआ जसिने वर्ष 1995 के अधनियिम को प्रतस्थापित कयि।

- इसका उद्देश्य दवियांगजनों के लिये समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना है।
- **राष्ट्रीय न्यास अधिनियम (National Trust Act), 1999:** स्वपरायणता, प्रमस्तिक घात, मानसिक मंदता और बहु-दवियांगता से ग्रस्त व्यक्तियों (Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities) के कल्याण और उससे संबंधित मामलों या उसके आनुषंगिक मामलों के लिये राष्ट्रीय स्तर पर एक नकिया के गठन के लिये इस अधिनियम का नरिमाण कया गया।
- **भारतीय पुनरवास परषिद अधिनियम (Rehabilitation Council of India Act), 1992:** यह अधिनियम दवियांगता पुनरवास के कषेत्र में कार्यरत पेशेवरों के प्रशकिषण और पंजीकरण को नर्यतिरति करता है।
- **मानसकि स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम (Mental Health Care Act), 2017:** यह अधिनियम मानसकि रोग से पीड़ति व्यक्तियों के अधिकारों और सम्मान की रकषा करता है।
- **कलंक और भेदभाव को रोकने के लिये सर्वोच्च न्यायालय के हालिया दशिा-नरिदेश:**
 - **भाषा का प्रयोग:** सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त रूपरेखा में ऐसे शब्दों के प्रयोग से बचने पर बल दिया गया है जो संस्थागत भेदभाव को बढ़ावा देते हैं और नकारात्मक आत्म-छर्वा में योगदान करते हैं।
 - **रूढिबद्धता (Stereotyping):** दृश्य मीडिया और फलिमों में दवियांगजनों के बारे में व्याप्त रूढिबद्धता को समाप्त करने का आह्वान कया गया है और करिएटर्स से नरिशक्तिता का उपहास करने के बजाय सटीक चतिरण प्रस्तुत करने का आग्रह कया गया है।
 - **समावेशी भाषा:** असहाय या पीड़ति जैसे शब्दों के प्रयोग से बचा जाए जो दवियांगता को व्यक्तगित बनाते हैं और सामाजकि बाधाओं की अनदेखी करते हैं।
 - **समावेशी सहयोग:** सर्वोच्च न्यायालय द्वारा “Nothing About Us Without Us” (दवियांगजन संगठनों द्वारा प्रयुक्त एक प्रमुख नारा जो इस बात पर बल देता है कि उनके बारे में किसी भी नीतिया वधि के नरिमाण में उनकी संलग्नता सुनिश्चित की जाए) के सिद्धांत पर प्रकाश डाला गया है, ताकि दृश्य मीडिया कंटेंट के सृजन एवं मूल्यांकन में दवियांगजनों की भागीदारी को प्रोत्साहित कया जा सके।

भारत में दवियांगजनों के समकष वदियमान प्रमुख चुनौतियाँ:

- **अगम्य अवसररचना (Inaccessible Infrastructure):** मौजूदा अवसररचना दवियांगजनों के लिये प्रायः अगम्य या दुरगम्य है। सार्वजनिक स्थानों, परिवहन और यहाँ तक कि कई नजी इमारतों में उपयुक्त रैप, लिफ्ट या टैक्टाइल पैवगि का अभाव पाया जाता है।
 - दवियांगजन सशक्तिरण वभिग (Department of Empowerment of Persons with Disabilities) की वर्ष 2018 की एक रपिरट के अनुसार भारत में केवल 3% इमारतें ही पूरी तरह से अभगिम्य पाई गईं।
 - भवन संरचना संबंधी यह भेदभाव दवियांगजनों की गतिशीलता और स्वतंत्रता को गंभीर रूप से सीमति करता है।
- **शैक्षकि अपवर्जन:** शकिषा का अधिकार अधिनियम के करयान्वयन के बावजूद कई दवियांगजनों को गुणवत्तापूर्ण शकिषा प्राप्त करने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
 - समावेशी स्कूलों, प्रशकिषति शकिषकों और सहायक प्रौद्योगिकियों की कमी से ज्ञान में अंतराल पैदा होता है।
 - लगभग 45% दवियांगजन नरिक्षर हैं और 03 से 35 आयु वर्ग के केवल 62.9% दवियांगजन कभी भी नयिमति स्कूल गए हैं।
 - यह शैक्षकि असमानता रोजगार के अवसरों में कमी और आर्थकि वंचना के दुष्चक्र को बनाए रखती है।
- **प्रवाग्रह की 'ग्लास सीलगि':** दवियांगजनों को सारथक रोजगार प्राप्त करने में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। 'ग्लास सीलगि' का मेटाफोर या रूपक यह बताता है कि हाशिये पर स्थति लोगों को प्रगतिकरण से कसि प्रकार नषिद्ध कया जाता है।
 - कार्यस्थल पर भेदभाव, उचति सुवधिओं का अभाव और सामाजकि प्रवाग्रह एक प्रकार की ग्लास सीलगि या बाधा उत्पन्न करते हैं।
 - भारत में लगभग 3 करोड़ दवियांगजन हैं, जनिमें से लगभग 1.3 करोड़ रोजगार योग्यता रखते हैं, लेकिन उनमें से केवल 34 लाख को ही रोजगार प्राप्त हुआ है।
- **स्वास्थ्य देखभाल संबंधी बाधाएँ:** उपयुक्त स्वास्थ्य देखभाल तक अभगिम्यता दवियांगजनों के लिये एक गंभीर चुनौती बनी हुई है।
 - कई स्वास्थ्य देखभाल सुवधिओं में दवियांगजनों के अनुकूल उपकरणों या वशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये प्रशकिषति कर्मचारियों का अभाव पाया जाता है।
 - कोवडि-19 महामारी ने इन भेदयताओं को और उजागर कर दिया, जहाँ दवियांगजनों को अधिक जोखमि का सामना करना पड़ा और आवश्यक सेवाओं तक उनकी पहुँच में कमी आई।
- **सामाजकि कलंक की अदृश्य जंजीरें:** दवियांगता के बारे में गहन रूप से व्याप्त सामाजकि कलंक और गलत धारणाएँ दवियांगों को हाशिये पर धकेलती रहती हैं।
 - उन्हें प्रायः भेदभाव, सामाजकि गतिविधियों से अपवर्जन और यहाँ तक कि हिंसा का भी सामना करना पड़ता है।
 - यह सामाजकि अपवर्जन उनके मानसकि स्वास्थ्य और जीवन की समग्र गुणवत्ता को प्रभावति करता है।
- **डजिटल डवाइड- अपवर्जन का एक नया मोर्चा:** जैसे-जैसे भारत तेज़ी से डजिटल होता जा रहा है, वभिनिन डजिटल प्लेटफॉर्म और प्रौद्योगिकियों की अगम्यता के कारण दवियांगजन पीछे छूटते जा रहे हैं।
 - वेबसाइट्स, ऐप्स और डजिटल सेवाओं में अक्सर स्क्रीन रीडर या क्लोज्ड कैप्शन जैसी सुवधिओं का अभाव होता है।
 - वेब एक्सेसिबिलिटी वार्षकि रपिरट (2020) में पाया गया कि 98% वेबसाइट दवियांगजनों के लिये अभगिम्यता संबंधी आवश्यकताओं का पालन करने में वफिल रहे थे।
 - यह डजिटल डवाइड शकिषा, रोजगार एवं सामाजकि भागीदारी में पहले से मौजूद असमानताओं को और बढ़ाता है।
- **वधि कि और नीत कार्यान्वयन संबंधी अंतराल –** पेपर टाइगर सिड्रोम: यद्यपि भारत में दवियांगजन अधिकार अधिनियम 2016 जैसे प्रगतशील कानून मौजूद हैं, फरि भी इनका कार्यान्वयन एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
 - कई उपबंध बस कागज़ पर ही रह गए हैं, जसिसे 'पेपर टाइगर सिड्रोम' जैसी स्थति पैदा हो गई है।
 - उदाहरण के लिये, दवियांगजन सशक्तिरण वभिग की 2019 की रपिरट से उजागर हुआ कि 35 राज्यों/केंद्रशासति प्रदेशों में से केवल 23 ने ही दवियांगता पर राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन कया था, जैसा कि अधिनियम द्वारा अनवार्य बनाया गया है।
 - कार्यान्वयन में यह अंतराल वधि कि संरक्षण के संभावति प्रभाव को कमज़ोर करता है।

दवियांगजनों के सशक्तीकरण के लिये प्रमुख पहलें:

- भारत में:
 - पीएम-दक्ष (दवियांग कौशल विकास एवं पुनर्वास योजना)
 - सुगम्य भारत अभियान (Accessible India Campaign)
 - दीनदयाल दवियांग पुनर्वास योजना
 - दवियांगजनों के लिये सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फटिंग में सहायता की योजना
 - दवियांग छात्रों के लिये राष्ट्रीय फेलोशिप
- वैश्विक स्तर पर:
 - एशिया और प्रशांत क्षेत्र में दवियांगजनों के लिये 'अधिकारों को साकार करने हेतु' इंचयोन कार्यानीति।
 - दवियांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन।
 - अंतरराष्ट्रीय दवियांगजन दविस

भारत में दवियांगजनों को सशक्त बनाने के लिये कौन-से उपाय किये जा सकते हैं?

- दवियांगजनों के अनुकूल अवसंरचना: सार्वजनिक अवसंरचना को दवियांगजनों के अनुकूल बनाने के लिये उन्नत करना, जिसमें स्पष्ट रूप से चिह्नित रैम्प, टैकटाइल पैथ, सुगम्य सार्वजनिक परिवहन और कार्यस्थलों पर एडेप्टिव प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल होंगे।
 - स्कूल, अस्पताल और डिजिटल सेवाओं को सभी के लिये आसानी से सुलभ बनाने के लिये सख्त दिशानिर्देश लागू किये जाएँ।
- कृत्रिम अंगों के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास: भारत में दवियांगजनों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिये कृत्रिम अंगों के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास (R&D) में वृद्धि करना महत्वपूर्ण है।
 - कृत्रिम अंगों में नवाचार के लिये समर्पित सरकारी और नजी दोनो क्षेत्रों से वित्तपोषण को बढ़ाकर यह हासिल किया जा सकता है।
 - विशिष्ट राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कृत्रिम अंग अनुसंधान केंद्रों की स्थापना से अत्याधुनिक विकास के लिये केंद्रित वातावरण उपलब्ध होगा।
- दवियांगजनों की स्पष्ट पहचान: यह सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है कि केवल वास्तविक दवियांगजनों को ही लाभ मिले और इसके लिये एक सख्त पहचान एवं सत्यापन प्रणाली का कार्यान्वयन किया जाए।
 - एक केंद्रीकृत डिजिटल डाटाबेस के सृजन के साथ इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, जो बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण और नियमित ऑडिट के माध्यम से दवियांगता प्रमाणपत्रों को रिकॉर्ड करेगा तथा उन्हें सत्यापित करेगा।
 - इस डाटाबेस को नियमित रूप से अद्यतन करने तथा अन्य सरकारी अभिलेखों के साथ इसके मेलान से झूठे दावों के मामलों की पहचान करने तथा उन्हें रद्द करने में मदद मिलेगी।
- दवियांगजनों के बारे में प्रचलित धारणाओं में बदलाव लाना: 'वकिलांग' के स्थान पर 'दवियांग' जैसे सशक्तीकारी शब्दों के प्रयोग को बढ़ावा देकर सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाया जाए।
 - अधिक समावेशी और सम्मानकारी समाज को बढ़ावा देने के लिये मीडिया, कला और सार्वजनिक मंचों के माध्यम से दवियांगजनों की क्षमताओं एवं उपलब्धियों को उजागर किया जाना चाहिये।
 - 'बढ़ते कदम' पहल इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- AI-संचालित सुगम्यता ऑडिट: शहरी योजना-निरमाण में AI-संचालित सुगम्यता ऑडिट क्रियान्वित किया जाए।
 - शहरी अवसंरचना का विश्लेषण करने के लिये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग किया जाए, जहाँ तत्काल अभिगम्यता संबंधी अंतराल की पहचान की जा सकती है।
 - इसमें सुगम्य मार्गों का मानचित्रण करने, बाधाओं का पता लगाने और सुधार का सुझाव देने के लिये सेंसर नेटवर्क तथा कंप्यूटर विज्ञान सिस्टम की तैनाती करना भी शामिल हो सकता है।
 - ऐसी प्रणाली को नरितर अपडेट किया जा सकता है, जिससे नगर नियोजकों और दवियांगजनों दोनों को गतिशील सुगम्यता संबंधी सूचना मिलती रहेगी।
- 'यूनिरर्सल डिज़ाइन इनोवेशन हब': दवियांगजनों और नीति निर्माताओं को एक साथ लाकर एक राष्ट्रीय यूनिरर्सल डिज़ाइन इनोवेशन हब की स्थापना की जाए।
 - यह हब उत्पादों, सेवाओं और अवसंरचना के लिये नवोन्मेषी एवं लागत प्रभावी सार्वभौमिक डिज़ाइन समाधानों के विकास एवं वसितार पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।
 - यह व्यापक कार्यान्वयन से पहले नई सुगम्यता प्रौद्योगिकियों के लिये परीक्षण स्थल के रूप में भी कार्य कर सकता है।
- न्यूरो-एडेप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म: न्यूरो-एडेप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म विकसित करने में नविश करें जो विभिन्न शक्तिषण दवियांगता रखने वाले छात्रों के लिये शैक्षिक सामग्री को वैयक्तिकृत करने हेतु इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम (EEG) का उपयोग करते हैं।
 - ये प्लेटफॉर्म तत्काल छात्र के संज्ञानात्मक भार, ध्यान के स्तर और सीखने की शैली के अनुसार समायोजित हो सकते हैं, जिससे दवियांगजनों के लिये शिक्षा अधिक सुगम्य एवं प्रभावी हो जाएगी।
 - EEG एक परीक्षण है जो मस्तिष्क में विद्युत गतिविधि की माप करता है।
 - यह दवियांगता के लिये प्रासंगिक है, क्योंकि यह उन तंत्रिका संबंधी स्थितियों का निदान करने में मदद कर सकता है, जिनके परिणामस्वरूप दवियांगता उत्पन्न हो सकती है।
 - उदाहरण के लिये, EEG का उपयोग मरिगी (जो संज्ञानात्मक हानि का कारण बन सकता है) या मस्तिष्क की चोट (जिसके कारण मोटर या संवेदी दवियांगता उत्पन्न हो सकती है) का पता लगाने के लिये किया जाता है।
- गति इकॉनमी समावेशन पहल: मौजूदा गति इकॉनमी ऐप्स के भीतर एक समर्पित प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाए जो विशेष रूप से दवियांगजनों को सेवा प्रदान करे और उन्हें लचीला तथा उनके कौशल के अनुरूप रोजगार के अवसर प्रदान करे।
 - इसमें साइन-लैंग्वेज सपोर्ट और AI-अससिस्टेड टास्क मैचिंग जैसी सुविधाएँ शामिल हो सकती हैं।
 - गति इकॉनमी के प्रमुख खिलाड़ियों के साथ साझेदारी कर इस पहल को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सकता है।

- **द्वियांगता समावेशी आपदा प्रबंधन प्रणाली:** एक व्यापक, टेक-संचालित आपदा प्रबंधन प्रणाली का सृजन किया जाए जो द्वियांगजनों की आवश्यकताओं की पूर्ति करे।
 - इसमें तत्काल सुगम्य एमरजेंसी एलर्ट, GPS-ट्रैकड निकासी सहायता और प्रथम प्रत्युत्तरकरताओं के लिये द्वियांगजनों की अवस्थिति एवं वशिष्ट आवश्यकताओं के संबंध में डेटाबेस शामिल हो सकता है।
- **एडेप्टिवि सपोर्ट्स टेक्नोलॉजी हब: अनुकूली खेल प्रौद्योगिकी केंद्र:** पैरा-एथलीटों के लिये अत्याधुनिक सहायक प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिये एक राष्ट्रीय एडेप्टिवि सपोर्ट्स टेक्नोलॉजी हब की स्थापना की जाए।
 - इसमें AI-संचालित कृत्रिम अंग, स्मार्ट व्हीलचेयर और VR प्रशिक्षण प्रणालियाँ शामिल हो सकती हैं।
 - भारत में खेलों पर बढ़ते ध्यान के साथ, यह पहल पैरा-खेलों में भागीदारी और प्रदर्शन को बढ़ावा दे सकती है, साथ ही द्वियांगजनों के लिये दैनिक जीवन के लिये उपयोगी नवाचारों को भी जन्म दे सकती है।
- **समावेशी डिजिटल शासन प्लेटफॉर्म:** सार्वभौमिक सुगम्यता पर ध्यान केंद्रित करते हुए ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म को पुनः डिज़ाइन किया जाए।
 - इसमें सभी सरकारी सेवाओं के लिये मल्टी-मॉडल इंटरफेस (वॉइस, टेक्स्ट, वीडियो) का सृजन करना, विभिन्न सहायक प्रौद्योगिकियों के साथ संगतता सुनिश्चित करना और वीडियो-आधारित सेवाओं के लिये रियल-टाइम साइन लैंग्वेज व्याख्या प्रदान करना शामिल होगा।

अभ्यास प्रश्न: भारत में द्वियांगजनों के समक्ष वदियमान चुनौतियों की चर्चा कीजिये और समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उन्हें सशक्त बनाने के प्रभावी उपाय सुझाइये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. भारत लाखों द्वियांग व्यक्तियों का घर है। कानून के अंतर्गत उन्हें क्या लाभ उपलब्ध हैं? (2011)

1. सरकारी स्कूलों में 18 साल की उम्र तक मुफ्त स्कूली शिक्षा।
2. व्यवसाय स्थापति करने के लिये भूमिका अधिमिन्य आवंटन।
3. सार्वजनिक भवनों में रैंप।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: d